न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री परसा राम आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या : 67 / 2025 **GCMS NO-2025/78**

प्रार्थी		अप्रार्थी
किसनाराम कडवासरा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।	बनाम	1. प्रेमसिंह पुत्र प्रतापसिंह उम्र 46 वर्ष निवासी डिब्बा पाड़ा, जैसलमेर (मालिक / विक्रेता) मैसर्स मिलन रेस्टोरेन्ट, किला पार्किंग के पास, डिब्बा पाड़ा, जैसलमेर। मो. 9414761614

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी 01 की तरफ से अधिवक्ता श्री तरूण कुमार पुरोहित उपस्थित

:: निर्णय :: **दिनांकः 18.02.2026**

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थी के विरूद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.07.2025 को दोपहर 01.40 पीएम पर दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स मिलन रेस्टोरेन्ट, किला पार्किंग के पास, डिब्बा पाड़ा, जैसलमेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स मिलन रेस्टोरेन्ट, किला पार्किंग के पास, डिब्बा पाड़ा, जैसलमेर पर श्री प्रेमसिंह पुत्र प्रतापसिंह उम्र 46 वर्ष निवासी डिब्बा पाड़ा, जैसलमेर (विक्रेता) कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर दही(लूज)रखा मिला जिसके मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात दही(लूज) 1200 ग्राम के नमूने वास्ते तोल कर दिया, जिसके पेटे 80/– रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा दही(लूज)को चार भागों में विभक्त कर चार खाली शिशियों में डाला तथा डालकर चारों शिशियों को अच्छी तरह से बंद किए। मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येंक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन–2233 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन–2233 नियमानुसार चारों नमूनो पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लिप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन–2233 दही(लूज)लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागो को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहो को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर
हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये
एवं मैनें स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न
है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह
नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06
की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खादय विश्लेषक जोधपुर को हरिसिंह
होमगार्ड कार्यालय हाजा के द्वारा दिनांक 15.07.2025 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो
न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06की प्रति अलग से लिफाफे में
बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खादयविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या
06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील
बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा
नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक
11.07.2025 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक 13275
दिनांक 05.08.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खादय विश्लेषक खादयसुरक्षा एवं मानक
प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./1132/Act/2025/1132 दिनांक
24.07.2025 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया जिनकी जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन
आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित
अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक /एफएसएसए
/2025/स्वीकृति/एन–2233/2509 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा आवेदक खादयसुरक्षा
अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त
केस में विक्रेता 1. श्री प्रेमसिंह पुत्र प्रतापसिंह उम्र 46 वर्ष निवासी डिब्बा पाड़ा, जैसलमेर
(विक्रेता) मैसर्स मिलन रेस्टोरेन्ट, किला पार्किंग के पास, डिब्बा पाड़ा, जैसलमेर के द्वारा
सबस्टेण्डर्ड दही(लूज) का विक्रय करके खादयसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम
2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादयसुरक्षा
एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन
किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे
दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

2. अप्रार्थी सं. 01 की तरफ से अधिवक्ता तरूण कुमार पुरोहित उपस्थित। अप्रार्थी 01
से प्राप्त जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है मुझ प्रार्थी के द्वारा उक्त दही को बाजार से
करीब 80 रूपये किलो के हिसाब से क्रय करता हूं तथा उक्त दही को मै जिस दुधवाले से
क्रय करता हूं उसके द्वारा उक्त दही को उच्च गुणवता तथा उचित बताकर मुझ प्रार्थी को
विश्वास दिलाने पर ही मेरे द्वारा क्रय किया जाता है। मुझ प्रार्थी द्वारा उक्त दही में किसी
भी प्रकार को कोई मिलावट नहीं किया गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा जानबूझकर गलत
कृत्य नहीं किया गया है। और न ही भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी हैर फैर किया
जाएगा। अतः भविष्य में निर्मित सामग्री की उत्तम क्वालिटी रहे इस बात का पूरा ध्यान
रखूंगा। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जायेगा जिससे कोई प्रकार की समस्या उत्पन्न
हो। अतः निवेदन की मुझ प्रार्थी के विरूद्ध वाद को निरस्त फरमावें एवं कम से कम पैनल्टी
भरवाकर प्रकरण निरस्त किया जावें।

3. प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए
अधिक से अधिक पैनल्टी लगाने का निवेदन किया। अप्रार्थी 1 ने अपने लिखित जवाब को

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

को दौहराते हुए कम से कम पैनल्टी लगाकर प्रकरण निरस्त करने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न साक्ष्य स्वरूप प्ररतुत दस्तावेज का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट L.S./1132/Act/2025/1132 दिनांक 24.07.2025 अनुसार उक्त सबस्टेण्डर्ड पाया गया।

अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माने के हेतु मनन किया गया। पत्रावली पर स्पष्ट तथ्य नहीं है कि अप्रार्थी ने कितना व कब से अनुचित लाभ कमाया। चूंकि अप्रार्थीगण प्रथम बार दोषी पाए गए है उसको मध्य–नजर रखते हुए न्यायहित में शास्ति आरोपित की जाती है एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहो इसकी भी चेतावनी दी जाती है। अप्रार्थीगण द्वारा कारित दोषपूर्ण कृत्य की गम्भीरता तथा इसके आमजन के स्वास्थ्य पर पडने वाले नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए हमारे विनम्र अभिमत में प्रकरण में अधिकतम विहित शास्ति अधिरोपित किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा, जिसे अप्रार्थी संख्या 01 पर शास्ति राशी **10,000/– दस हजार अक्षरे रूपये** मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।

साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगणों द्वारा यदि उक्त निर्णय दिनांक के एक माह पश्चात् यानि निश्चित समयावधि में शास्ति शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है तो खादय सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत उनके लाईसेन्स को निलम्बित कर भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की कार्यवाही की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसा राम)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

दिनांक 12/3/26

क्रमांकःकोर्ट/2026/91-92

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर
2. प्रेमसिंह पुत्र प्रतापसिंह उम्र 46 वर्ष निवासी डिब्बा पाड़ा, जैसलमेर(मालिक/विक्रेता) मैसर्स मिलन रेस्टोरेन्ट, किला पार्किंग के पास, डिब्बा पाड़ा, जैसलमेर । मो0 9001537280

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर